ए बी एक्स / PABX : 26588980, 26588707,26589336,26589745
26589873, 26589414
फैक्स / FAX : 011-26588662, 011-26859791, 011-26589258

तार/GRAM: विज्ञानी/SCIENTIFIC
web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

वी. रामलिंगस्वामी भवन,अन्सारी नगर,पोस्ट बॉक्स 4911,नई दिल्ली-110 029
V.RAMALINGASWAMI BHAWAN,ANSARI NAGAR, POST BOX-4911, NEW DELHI-110029

संख्या 18/2/2018-प्रशासन-2 दिनांक 19.9.2018.

सेवा में,
निदेशक/प्रभारी निदेशक
परिषद के सभी स्थाई केन्द्र/संस्थान

Subject : Interest bearing advacnes/Seventh Central Pay Commission recommendation on migration of existing government employees who have already taken Home Loans from Banks/other Financial Institutions and Small Family Norms in House Building Advance Rules-2017 as per the recommendations of 7th CPC-reg.

मुझे उपरोक्त विषय पर पत्र संख्या संख्या क्यू-11022/24/2018-एच आर/ई ऑफिसः 3165590 दिनांक अगस्त 2018 अनुलग्नक सहित जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निदेश हुआ है ।

भवदीय,
भारत भूषण

(भारत भूषण)
वरि० प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

अनुलग्नकः उपरोक्त

प्रतिलिपिः-
1. निजी सचिव, महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/वरि० उपमहानिदेशक/वरि० वित्त सलाहकार
2. तकनीकी प्रभागों के प्रमुख
3. निजी सचिव, उपमहानिदेशक
4. सहा. महानिदेशक (प्रशासन) (अ.ख.) / (आर.आर.)
5. डॉ चंचल गोयल, वैज्ञानिक-डी वेबसाइट अपलोड के लिए आपकी ईमेल आईडी (drcgicmr@gmail.com) पर इसकी सॉफ्ट कॉपी को मेल किया गया है।

I/3177146/2018

No. Q-11022/24/2018-HR / E-Office: 3165590
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health Research)

2nd Floor, IRCS Building,
Red Cross Road, New Delhi-110001
Dated: August, 2018

To,

Smt. Agnes Xalxo,
Assistant Director General (Administration),
Indian Council of Medical Research (ICMR),
V. Ramalingaswami Bhawan,
Ansari Nagar,
New Delhi-110029

Subject: Interest bearing advances/ Seventh Central Pay commission recommendation on migration of existing government employees who have already taken Home Loans from Banks/ other Financial Institutions and Small Family Norms in House Building Advance Rules-2017 as per the recommendations of 7th CPC - reg.

Madam,

I am directed to forward herewith a copy of O.M No. I-17011/11(4)/2016-H.III dated 31.01.2018 on the subject 'Interest bearing advances/ Seventh Central Pay commission recommendation on migration of existing government employees who have already taken Home Loans from Banks/ other Financial Institutions' and a copy of O.M No. I-17011/11(4)/2016-H.III dated 31.01.2018 on the subject 'Small Family Norms in House Building Advance Rules-2017 as per the recommendations of 7th CPC', received from M/o Housing & Urban Affairs for information and compliance.

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Signature valid
Digitally signed by OM PARKASH
Date: 2018.08.21 20:05:31 IST
Reason: Approved

(Om Parkash)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23736090

Encl: As above

Dy. No. 185 30/08/2018

SO (A-II) 23/8/18

Sr AO HA-III 21/8/18

827362/2018/Secy-DHR

I-17011/11(4)/2016-H.III
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
Housing-III Section
*****

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated:31.01.2018.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Interest bearing advances/ Seventh Central Pay commission recommendation on migration of existing government employees who have already taken Home Loans from Banks/ other Financial Institutions – reg.

Kind attention is invited to para 2(viii) of this Ministry's O.M. No. I-17011/11(4)/2016-H.III dated 09.11.2017 on the above mentioned subject regarding fulfilment of extant conditions, the extant conditions are clarified as follows.

a) Before granting such House Building Advance, the Head of the Department;

   i. Should satisfy himself that the home loans were taken by the government employee entirely for purpose of construction/ purchase of new house/ flat.

   ii. Should ensure that the House Building Advance sanctioned is limited to the amount of loan still due to be repaid by the government employee.

b) House Building Advance can be availed towards repayment of bank loan taken for the purpose of construction/ purchase of new house/ flat.

c) Employee shall be eligible for grant of House Building Advance on the date he/ she obtained loans from banks and other financial institutions, irrespective of whether they applied for House Building Advance before raising the loan.

d) House Building Advance for repayment of loans shall be granted to the eligible employees in one lump sum. However, the Government employee shall produce the HBA Utilization Certificate within one month from the date of release of HBA.

e) Employee has to satisfy the other provisions of the House Building Advance Rules -2017.

(Shailendra Vikram Singh)
Director(IFD)
Tel:011-23062798

To,

All the Ministries and Departments of the Government of India, C&AG and UPSC, etc. as per standard endorsement list.

Copy for information to,

1. PS to MoS(I/c), H&UA
2. PSO to Secretary
3. PPS to JS&FA
4. Budget Division
5. US (Admn.), MoHUA
6. IT- Cell for uploading in Ministry website
7. Hindi Section for Hindi version.

(Rajeev Kumar)
Under Secretary (FD-I)

827362/2018/Secy-DHR

I-17011/11(4)/2016-H.III
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
Housing-III Section
*****

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated 31.01.2018.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Small Family Norms in House Building Advance Rules-2017 as per the recommendations of 7th CPC– reg.

The undersigned is directed to invite attention to Ministry of Finance's OM No. 12(4)/ 2016-EIII.A dated 7th July 2017 on the above mentioned subject and to say that interest rebate available to HBA beneficiaries for promoting small family norms shall cease to exist with effect from 01.07.2017.

(Shailendra Vikram Singh)
Director(IFD)
Tel:011-23062798

To,

All the Ministries and Departments of the Government of India, C&AG and UPSC, etc. as per standard endorsement list.

Copy for information to,

1. PS to MoS(I/c), H&UA
2. PSO to Secretary
3. PPS to JS&FA
4. Budget Division
5. US (Admn.), MoHUA
6. IT- Cell for uploading in Ministry website
7. Hindi Section for Hindi version.

827362/2018/Secy-DHR

u5

आई-17011/11(4)/2016-एच-III
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
आवास-III अनुभाग
*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 31.01.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं से पहले ही गृह ऋण ले चुके हैं, द्वारा ब्याज वाले अग्रिम को परिवर्तित करवाने /सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में ।

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर विद्यमान शर्तों को पूरा करने के संबंध में दिनांक 09.11.2017 के इस मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. आई-17011/11(4)/2016-एच-III के पैरा 2(viii)पर आकृष्ट किया जाता है । विद्यमान शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नवत है:-

(क) ऐसे गृह निर्माण अग्रिम को स्वीकृत करने से पहले विभागाध्यक्ष को;

(i) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी द्वारा नए घर/फ्लैट के केवल निर्माण/खरीद करने के प्रयोजन हेतु गृह ऋण लिया गया था ।

(ii) सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकृत किया गया गृह निर्माण अग्रिम अभी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस समय देय ऋण चुकौती की ऋण राशि तक सीमित है ।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम का लाभ नये मकान/फ्लैट का निर्माण/खरीद करने के प्रयोजन हेतु लिए गए बैंक ऋण की चुकौती हेतु लिया जा सकता है ।

(ग) कर्मचारी उस तारीख से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु पात्र होगा जिस तारीख को उसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया, चाहे उसने गृह निर्माण ऋण के लिए पहले आवेदन किया हो या न किया हो ।

(घ) पात्र कर्मचारियों को ऋणों की चुकौती के लिए एकमुश्त गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा । तथापि, सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर गृह निर्माण अग्रिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ङ) कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम नियम-2017 के अन्य उपबंधों का अनुसरण करना है ।

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)
निदेशक(आईएफडी)
दूरभाष सं.: 011-23062798

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, सी एंड एजी और यूपीएससी आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार ।

प्रति सूचनार्थ:

1. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
2. सचिव के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
4. बजट प्रभाग
5. अवर सचिव(प्रशा.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6. मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आईटी सैल ।

आई-17011/11(4)/2016-एच-III
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 31.01.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह निर्माण अग्रिम नियम-2017 में छोटा परिवार के मानक के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 जुलाई, 2017 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(4)/2016-स्थापना-III पर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह निर्माण अग्रिम लाभार्थियों को छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने वाले मानकों के लिए उपलब्ध ब्याज छूट दिनांक 01.07.2017 से समाप्त हो जाएगी ।

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)
निदेशक(आईएफडी)
दूरभाष सं.: 011-23062798

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, सी एंड एजी और यूपीएससी आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार ।

प्रति सूचनार्थः

1. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
2. सचिव के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
4. बजट प्रभाग
5. अवर सचिव(प्रशा.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6. मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आईटी सैल ।